**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2014 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1041**

==========

उपेंद्र कुमार, पिता जय नारायण यादव, निवासी- गाँव- सरारी, पोस्ट- करांजा, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
2. सचिव, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, पटना
3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौबतपुर प्रखंड, नौबतपुर, जिला-पटना
4. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत करांजा गवई, नौबतपुर प्रखंड, जिला-पटना
5. मुखिया, ग्राम पंचायत करांजा गोवाई, नौबतपुर प्रखंड, जिला-पटना
6. सत्येन्द्र कुमार, पुत्र- योगेश्वर मांझी, निवासी-ग्राम- गोए, पोस्ट- करांजा, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना
7. रजनीकांत, पुत्र- राम सिंघासन सिंह, निवासी-ग्राम पोस्ट- करांजा, थाना-नौबतपुर, जिला- पटना
8. बिपिन कुमार, पुत्र- योगेश्वर सिंह, निवासी-ग्राम- गोए चक, पोस्ट- करांजा, थाना-नौबतपुर, जिला- पटना

.....प्रतिवादी/गण

==========

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ता/गण की ओर से : श्री रविभूषण कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/गण की ओर से : श्री अजय, जी.ए. 5

श्री राकेश कुमार रंजन, एसी से जी.ए.5 तक

==========

*भारत का संविधान---अनुच्छेद 226---बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006--नियम 20(iii)---पंचायत शिक्षा मित्र ("पी.एस.एम.") के पद से निजी प्रतिवादियों को हटाने और याचिकाकर्ता को पी.एस.एम./"पंचायत शिक्षक" के पद पर नियुक्त करने के लिए रिट याचिका--- दलील है कि अन्य नियुक्तियों की तुलना में अधिक अंक होने के बावजूद, याचिकाकर्ता के नाम पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया, जबकि निजी प्रतिवादियों को गलत लाभ के लिए नियुक्त किया गया था--- निर्णय: चूंकि नियम, 2006 के लागू होने के पश्चात् 01.07.2006 को पी.एस.एम. का पद समाप्त कर दिया गया था; इसलिए कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम./"पंचायत शिक्षक" के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से नियोजित नहीं हो सकता, रोजगार का दावा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता 01.07.2006 को पी.एस.एम. के रूप में नियोजित नहीं था, अर्थात् पी.एस.एम. को "पंचायत शिक्षक" के रूप में परिवर्तित किए जाने के समय, इसलिए उसे पी.एस.एम. के रूप में रोजगार/मान्य रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है अथवा उसे "पंचायत शिक्षक" के रूप में सेवा में समाहित होने का अधिकार नहीं है। रिट याचिका खारिज। **(पैरा 2, 4, 5)***

*2011(4) पीएलजेआर 297 (डीबी), 2014 (2) पीएलजेआर 665 (एफबी) .....पर भरोसा किया गया।*

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

==========

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा**

**मौखिक निर्णय**

**तिथि :- 16-05-2024**

1. वर्तमान आवेदन, प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 को पंचायत शिक्षा मित्र (संक्षेप में "पी.एस.एम".) के पद से समाप्त करने के लिए संबंधित प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए और याचिकाकर्ता को पी.एस.एम./"पंचायत शिक्षक" के पद पर नियुक्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2003 में पी.एस.एम. के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और अन्य नियुक्तियों की तुलना में अधिक अंक होने के बावजूद, नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुखिया ने पंचायत सचिव के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 को गलत लाभ के लिए जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है, नियुक्त किया है।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय की खंड पीठ और पूर्ण पीठ के फैसले को देखते हुए, संबंधित प्रतिवादी को प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 को पी.एस.एम. के पद से समाप्त करने का निर्देश देते हुए रिट जारी किया जाना एक व्यर्थ की कवायद होगी क्योंकि पी. एस. एम. का पद बिहार पंचायत

प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2006 (इसके बाद "नियम, 2006" के रूप में संदर्भित) के लागू होने के बाद 01.07.2006 पर समाप्त कर दिया गया था।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। चूंकि पी. एस. एम. का पद नियम, 2006 के लागू होने के बाद 01.07.2006 को समाप्त कर दिया गया था; किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम./पंचायत शिक्षक के रूप में रोजगार/मान्य रोजगार का दावा नहीं कर सकता है, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने श्रीमती रेणु कुमारी पांडे एवं अन्य *बनाम* बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय में पूर्वव्यापी रूप से अभिनिर्धारित किया है, जो 2011(4) पीएलजेआर 297 (खंड पीठ) में रिपोर्ट किया गया है। 2014 (2) पी.एल.जे.आर. 665 (पूर्ण पीठ) में रिपोर्ट की गई कल्पना रानी *बनाम* बिहार राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उपरोक्त खंड पीठ के फैसले की पुष्टि की है, जिसमें यह पारा संख्या 118 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> "118. इस प्रकार अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि 01.07.2006 के बाद, कोई भी व्यक्ति, जो पहले पंचायत शिक्षा मित्र के पद का आकांक्षी था, केवल इसलिए निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका नाम पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में था। पंचायत शिक्षा मित्र के पद को 1.7.2006 से समाप्त कर दिया गया है और इस पद को समाप्त करने के बाद, किसी को भी पंचायत शिक्षक के पद पर उनके केवल पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। श्रीमती रेणु कुमारी पांडे (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ के फैसले में लिया गया विचार एक अच्छा कानून है। मुझे

यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि किशोरी प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में पहले के खंड पीठ के फैसले ने, ऊपर बताए गए कारणों से, कानून का सही निर्णय नहीं लिया है और तदनुसार, खारिज कर दिया गया है।"

5. वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता 01.07.2006 तक पी.एस.एम. के रूप में कार्यरत नहीं था, जैसा कि पी.एस.एम. के "पंचायत शिक्षक" के रूप में परिवर्तित होने का समय था। तदानुसार, याचिकाकर्ता को पी.एस.एम. के रूप में रोजगार/मानित रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या उसे नियम, 2006 के नियम 20 (iii) के संचालन के तहत "पंचायत शिक्षक" के रूप में सेवा में शामिल होने का अधिकार है।

6. परिणामस्वरूप, यह रिट आवेदन जिसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

**(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)**

प्रफुल्ल/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**